भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3396
जिसका उत्तर शुक्रवार, 08 अगस्त, 2025 को दिया जाना है

स्थायी परामर्शदाताओं के रूप में अधिवक्ताओं की नियुक्ति

3396. एडवोकेट डीन कुरियाकोस :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न सरकारी विभागों के स्थायी परामर्शदाताओं के रूप में अधिवक्ताओं की नियुक्ति के लिए कोई न्यूनतम आधारभूत मानदंड हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इन अधिवक्ताओं के कार्य-निष्पादन का कोई मूल्यांकन किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या हैं ;

(घ) कोच्चि उच्च न्यायालय में विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों से संबंधित कुल कितने मामले लंबित हैं ; और

(ङ) ऐसे मामलों की संख्या और ब्यौरा क्या है जिनमें मुकदमे लड़ने में चूक के कारण उच्च न्यायालय स्तर पर नकारात्मक निर्णय दिया गया है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : विधि कार्य विभाग विभिन्न न्यायालयों में केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों और विभागों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, अधिवक्ताओं के हित, अर्हता, अनुभव, ख्याति, विशेषज्ञता, वृत्तिक क्षमता और बार में उनकी स्थिति के आधार पर, माननीय विधि और न्याय मंत्री के अनुमोदन से, उपयुक्त अधिवक्ताओं को न्यायालय-वार 'पैनल काउंसेल' के रूप में पैनलित करता है । अतः, इस संबंध में न्यूनतम मानदंड यह है कि व्यक्ति संबंधित विधिज्ञ परिषद में अधिवक्ता के रूप में सम्यक रुप से अभ्यावेशित होना चाहिए ।

(ग) : देश के सभी न्यायालयों/अधिकरणों के लिए प्रभारी मुक़दमेबाज़ी की व्यवस्था है, जो न केवल पैनल काउंसेल को मामले आबंटित करते हैं, बल्कि पैनल काउंसेल के आचरण और प्रदर्शन पर विधि कार्य विभाग को रिपोर्ट भी भेजते हैं। इसके अतिरिक्त, पैनल काउंसेल के संबंध में मंत्रालयों/विभागों से प्रतिक्रिया/शिकायतें भी प्राप्त होती हैं, जिनकी सम्यक रुप से जाँच की जाती है और आरोप/अवचार साबित होने पर, ऐसे पैनल काउंसेल को पैनल से हटा दिया जाता है।

(घ) : नवीनतम जानकारी के अनुसार, केंद्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के सामने कुल 13476 मामले कोच्चि (एर्नाकुलम) स्थित केरल उच्च न्यायालय में लंबित हैं ।

(ड.) : न्यायालयों द्वारा, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के पर्यवेक्षण और समन्वय में, काउंसेल द्वारा प्रस्तुत मामले के गुणागुण के आधार पर, न्यायालयी मामले विनिश्चित किए जाते हैं । अतः, किसी न्यायालयी मामले के परिणाम को केवल काउंसेल के प्रदर्शन के आधार पर नहीं माना जा सकता ।

****